पंचायत निगरानी संख्या : 432/2024, 434/2024, 436/2024 व 438/2024
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

1. पंचायत निगरानी संख्या : 432/2024
   जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/ 555

सुमेरसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह जाति राजपुत निवासी भाणका तहसील देसूरी जिला पाली बनाम राज.

1. वीरबहादुरसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी भाणका ठिकाणा बेरानवोडा भाणका तहसील देसूरी जिला पाली राज.
2. ग्राम पंचायत मगरतलाव पंचायत समिति देसूरी

2. पंचायत निगरानी संख्या : 434/2024
   जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/ 557

सुमेरसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह जाति राजपुत निवासी भाणका तहसील देसूरी जिला पाली बनाम राज.

1. हिम्मतसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी भाणका ठिकाना बेरानवोडा भाणका तहसील देसूरी जिला पाली राज.
2. ग्राम पंचायत मगरतलाव पंचायत समिति देसूरी

3. पंचायत निगरानी संख्या : 436/2024
   जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/ 559

सुमेरसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह जाति राजपुत निवासी भाणका तहसील देसूरी जिला पाली बनाम राज.

1. फूल कंवर पत्नी हुकमसिंह जाति राजपुत निवासी भाणका ठिकाना बेरानवोडा भाणका तहसील देसूरी जिला पाली राज.
2. ग्राम पंचायत मगरतलाव पंचायत समिति देसूरी

4. पंचायत निगरानी संख्या : 438/2024
   जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/ 561

सुमेरसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह जाति राजपुत निवासी भाणका तहसील देसूरी जिला पाली बनाम राज.

1. हुकमसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपुत निवासी भाणका ठिकाना बेरानवोडा भाणका तहसील देसूरी जिला पाली राज.
2. ग्राम पंचायत मगरतलाव पंचायत समिति देसूरी

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान।
2. अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री भैराराम चौधरी। प्रकरण संख्या जी.सी. एम.एस. 2024/555, 2024/557, 2024/559 एवं 2024/561

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 432 / 2024, 434 / 2024, 436 / 2024 व 438 / 2024
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

–:निर्णय:–

दिनांकः 27.02.2026

याचिकाकर्ता श्री सुमेरसिंह ने ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा समान प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 20.03.2023 द्वारा निर्णय लेकर निष्पादित किये गये चारों भूमि विक्रय विलेखों को उपरोक्त पंचायत निगरानी याचिकाओं के माध्यम से समान आधारों पर चुनौति प्रस्तुत की है, अतः उपरोक्त वर्णित पंचायत निगरानी याचिकाओं को एक साथ निर्णीत करने का निश्चय किया जाता है।

निगरानी याचिकाओं के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सुमेरसिंह द्वारा ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा समान प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 20.03.2023 द्वारा **प्रकरण संख्या 432 / 2024 (मिसल संख्या 23 / 2022–23) में अप्रार्थी श्री वीरबहादुर सिंह के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख संख्या 24 (बुक संख्या 164), प्रकरण संख्या 434 / 2024 (मिसल संख्या 22 / 2022–23) में अप्रार्थी श्री हिम्मतसिंह के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख संख्या 25 (बुक संख्या 164), प्रकरण संख्या 436 / 2024 (मिसल संख्या 305 / 2022–23) में अप्रार्थी फुल कंवर के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख संख्या 23 (बुक संख्या 164) व प्रकरण संख्या 438 / 2024 (मिसल संख्या 68 / 2022–23) में अप्रार्थी हुकमसिंह के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख संख्या 22 (बुक संख्या 164)** को अप्रार्थीगणों के नाम जारी किये गये है, जबकि उक्त जैर प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का लगभग 20–25 वर्षों से कब्जा है और वह वहां पर टीन शेड, पशुओं का बाड़ा आदि बनाकर उपयोग कर रहा है। प्रार्थी का आरोप है कि ग्राम पंचायत ने बिना भूमि का सही सत्यापन, कब्जे की जांच और नियमानुसार प्रक्रिया अपनाए बिना ही उक्त विक्रय विलेख जारी कर दिये गये है। यह राजस्थान पंचायती राज नियम 157 (1) के विरुद्ध है। अतः अप्रार्थीगण के नाम जारी उक्त विक्रय विलेखों की शुद्धता एवं मोलिकता की जांच करते हुए उक्त विक्रय विलेख निरस्त फरमावें।

निगरानी याचिकाएं दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या दो बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। अप्रार्थीगण संख्या एक ने ज़रिए अधिवक्ता प्रकरण संख्या 432 / 2024 एवं 434 / 2024 में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि पंचायत निगरानी में प्रार्थी के द्वारा विवादित पट्टा की भूमि के बारे में जो कहानी बतायी गई है उसका जवाब यह है कि गांव भाणका में प्रार्थी का स्वयं का कब्जा शुदा भूखण्ड 20–25 वर्षों से स्थित नही हैं, जो भूखण्ड प्रार्थी इस निगरानी में बता रहा है, वह भूखण्ड अप्रार्थी संख्या एक का है। प्रार्थी का नही है तथा न ही उक्त भूखण्ड पर टीनशेड लगे हुए है तथा न ही कोई कमरा बना हुआ है। उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जवाई जल योजना के तहत अप्रार्थी द्वारा पानी का कनेक्शन लिया हुआ है तथा स्वयं के पशुधन के काम आता है तथा उक्त भूखण्ड का रख रखाव भी अप्रार्थी संख्या एक द्वारा किया जाता रहा है। इस भूखण्ड के दो तरफ तारबंदी है तथा दो तरफ कांटों की बाड है जो अप्रार्थी संख्या एक द्वारा की गई है तथा इस निगरानी में भूखण्ड में जो नाप प्रार्थी द्वारा बताया गया है वह पूर्ण रुप से गलत है जबकि अप्राथी संख्या दो के पास में जो भूखण्ड है वह उत्तर दक्षिण में 60 फीट व पूर्व पश्चिम 42 फीट कुल 2520 वर्गफीट है। उक्त भूखण्ड के पड़ौस भी प्रार्थी ने जो बताये है वो सही नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक के भूखण्ड के उत्तर की तरफ अपने स्वयं के भूखण्ड में से 15 फीट शामलाती रास्ता हुआ है व आगे वाघसिंह का भूखण्ड है। अप्रार्थी संख्या एक के भूखण्ड के दक्षिण में हीरसिंह व अन्य स्वयं का भूखण्ड व मकन है तथा अप्रार्थी संख्या एक के भूखण्ड के पूर्व की तरफ हिम्मतसिंह पुत्र भंवरसिंह का भूखण्ड आया हुआ है व पश्चिम की तरफ अप्रार्थी संख्या एक के भूखण्ड में फुलकंवर पत्नी हुकमसिंह का भूखण्ड आया हुआ है इस प्रकार पंचायत निगरानी में अप्रार्थी द्वारा जो विवादित भूखण्ड का नाप व पड़ौस बताया गया है, जो मेल नहीं खाते है। जिससे निगरानी चलने योग्य नहीं है अप्रार्थी संख्या एक कभी भी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

पंचायत निगरानी संख्या : 432/2024, 434/2024, 436/2024 व 438/2024
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अप्रार्थी संख्या दो से अवैध सांठ गांठ कर इस निगरानी में वर्णित पट्टे को बनाया हो। अप्रार्थी के नाम पर जो पट्टा बनाया गया है वो पूर्ण रुप से कानुन व विधि द्वारा नियमों के तहत ही बनाया गया है, जिससे इस पट्टे को निरस्त कराने के लिए जो आधार बताये गये है, उसका जवाब अप्रार्थी संख्या एक की ओर से निम्नलिखित हैः–

1. पद संख्या एक निगरानी में वर्णित तथ्य पूर्ण रुप से गलत व आधार हीन है इस पद का जवाब यह है कि अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जो जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है वो अप्रार्थी संख्या दो के भार साधक अधिकारी के द्वारा भूमि का सत्यापन कर नापतौल कर दिनांक 20.08.2023 को कानुनी रुप से व प्रावधानो के अनुसार ही बनाया गया है तथा विधि व तथ्यों के अनुसार ही पट्टा बनाया जाने से इसको किसी भी प्रकार से निरस्त नहीं किया जा सकता है।
2. पद संख्या दो निगरानी में वर्णित तथ्य पूर्ण रुप से गलत है। इस पद का जवाब है कि अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में किये गये पट्टे पर रोक लगाने बाबत या उसके विरुद्ध कार्यवाही करने बाबत अप्रार्थी संख्या दो के समक्ष क्यो कार्यवाही की है, व क्या जवाब आया है, उसका कोई भी ज्ञान अप्रार्थी संख्या एक को नही हैं अप्रार्थी संख्या एक के हक में अप्रार्थी संख्या दो द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए पट्टा जारी किया हुआ है,परन्तु प्रार्थी अप्रार्थी संख्या दो पर अनुचित व अवैधानिक दबाव डालकर पट्टा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में नहीं बनने देने पर अमादा थे तथा अप्रार्थी संख्या दो के विरुद्ध झूठ व आधार हीन शिकायते करने से अप्रार्थी संख्या दो द्वारा उस पर कोई गौर नहीं किया गया तथा अप्रार्थी संख्या दो से नाराज होने पर ही यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की है।
3. पद संख्या तीन निगरानी में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। इस पद का जवाब है कि अप्रार्थी संख्या एक के पट्टा शुदा व कब्जाशुदा भूखण्ड पर पर अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा है तथा उक्त कब्जे को सही व पुराना मानते हुए पट्टा संख्या 24 जारी किया गया है जो बिल्कुल विधिक के प्रावधानों के अनुरुप जारी किया हुआ है तथा विधिसम्मत कानुनी प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किया हुआ है जिससे उक्त पट्टा किसी भी तरह से अवैधानिक नही है तथा किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत उसे निरस्त नहीं किया जा सकता ह। उक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा व अप्रार्थी संख्या एक के पिता श्री सवाईसिंह का पुश्तैनी कब्जा होने से उन्होंने जरिये सहमति पत्र अप्रार्थी संख्या एक सहित अन्य पोत्रो व पुत्रों को पट्टा बनाने हेतु सहमति दी है। जिसकी प्रति अप्रार्थी संख्या दो के कार्यालय में भी दी है तथा उसी सहमति के आधार पर अप्रार्थी संख्या दो के द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व अन्य के हक में पट्टा जारी किया है।
4. पद संख्या चार निगरानी में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। इस पद का जवाब है कि निगरानी के अन्तर्गत वर्णित अप्रार्थी संख्या एक के भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा होने व पुराना केलुपोश ढालिया आदि किया हुआ होने से यह पट्टे अप्रार्थी संख्या दो द्वारा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही कुननी रुप से करते हुए यह पट्टा जारी किया गया है तथा उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या एक के अलावा किसी का भी किसी भी रुप से वहां पर कब्जा नही है तथा अप्रार्थी संख्या दो द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह कानुनी व विधि सम्मत है। तथा उससे प्रार्थी किसी भी तरह से प्रिज्युडिस नहीं होता है। जिससे अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी किये गए पट्टे को किसी भी तरीके से निरस्त नहीं किया जा सकता।
5. पद संख्या पांच निगरानी में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। इस पद का जवाब है कि प्रार्थी का निगरानी अन्तर्गत पट्टे के भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का कब्जा या

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

मकान नही था तथा न ही है तथा इस भूखण्ड बाबत प्रार्थी द्वारा कब आवेदन किया कब अप्रार्थी संख्या एक को कोई ज्ञान नही है बल्कि इसके विपरित अप्रार्थी संख्या दो ने अप्रार्थी संख्या एक के हक में जांच कर विधि अनुसार पट्टे जारी किये गया है जो किसी भी तरह से अवैधानिक व नाजायज नही है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी अप्रार्थी संख्या एक जो प्रार्थी के भाई भंवरसिंहजी का पुत्र होने से प्रार्थी ने द्वेष पूर्वक पेश की है। तथा पारिवारिक विवाद को बढ़ाने के लिए पेश की गई है जो निरस्त की गई है।

6. पद संख्या 06 निगरानी में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। इस पद का जवाब है कि पट्टा नंबर 24 पर सरपंच की सील व हस्ताक्षर, वार्डपंच के हस्ताक्षर सचिव की सील लगी हुई है इससे भी यह पट्टा कानुनी रुप से जारी किया जाना स्पष्ट तौर पर लगता है जिससे किसी भी स्थिति में निरस्त किया जा सकता है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने विशेष निवेदन किया कि:–

1. यह है कि अप्रार्थी संख्या एक के भूखण्ड व अन्य भाईयों के भूखण्ड की सफाई करने के लिये वहा पर गये तो प्रार्थी की पत्नी मनोहरकंवर व उसका पुत्र हेमेन्द्रसिंह दिनांक 01.08.2024 को हाथो में शस्त्र लेकर मौके पर आये, उक्त भूखण्ड पर काम कर रहे अप्रार्थी संख्या एक व उसके साथ हिम्मतसिंह व हुकमसिंह भी थे, जिनके साथ में भी प्रार्थी की पत्नी मनोहरकंवर व लड़के हेमेन्द्रसिंह द्वारा जेसीबी का कांच तोड़ने, धक्का मुक्की करने व मारपीट करने से अप्रार्थी संख्या एक के चाचा हुकमसिंह पुत्र सवाईसिंह ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना खिंवाडा में दर्ज करवाई। जिस पर उनके विरुद्ध धारा 126 (2), 324(2), बीएनएस. में मुकदमा दर्ज किया, जिसके सीआर नम्बर 113/2024 है। जिसके बाद मनोहरकंवर पत्नी सुमेरसिंह व हेमेन्द्रसिंह पुत्र सुमेरसिंह के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया जो अभी जे एम कोर्ट देसूरी में चल रहा है। इस भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या एक हिम्मतसिंह के प्लोट पर रख रखाव कर रहे थे तो प्रार्थी स्वयं व उसकी पत्नी मनोहरसिंह व हेमेन्द्रसिंह फाटक व तारबंदी पर तोड़फोड करने लगे व फाटक पर प्रार्थी अपना नाम लिखने लगा, जिस पर यह घटना हुई जिसका मुकदमा पुलिस थाना खिंवाडा में दर्ज करवाया गया। जिससे भी स्पष्ट हो रहा है कि अप्रार्थी संख्या एक व अन्य भाईयों के भूखण्ड पर प्रार्थी अपनी पत्नी व पुत्रों के जरिये जोर जबरदस्ती करना चाहता है व इस नियत से अप्रार्थी संख्या एक व अन्य परिवार के सदस्य को परेशान करने के लिए इसी प्रकार की चार निगरानियां इस न्यायालय में पेश की है।
2. यह है कि प्रार्थी अपनी भुजाओ के बल पर परिवार के अन्य सदस्यो पर बिना आधार की निगरानी कर उनको बेवजह परेशान कर रहे है जो निरस्त करने योग्य है।

अतः जवाब निगरानी पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त फरमाई जाए।

प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड (पट्टा बुक एवं मुल मिसल पत्रावलियाँ) ग्राम पंचायत से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किया गया।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक़्त बहस निगरानी याचिकाओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य तथा श्री सवाईसिंह निवासी भाणका के वंशज है। प्रश्नगत भूखण्ड श्री सवाईसिंह का पुश्तैनी स्वामित्वाधीन था जिस पर प्रारम्भ से ही प्रार्थी का कब्जा है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड का स्वयं के नाम पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत में 06.05.2016 को एक आवेदन मय शुल्क रसीद प्रस्तुत किया था। ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा प्रार्थी के उक्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की तथा उक्त भूखण्ड को चार भागों में विभक्त कर अप्रार्थीगण के पक्ष में अवैधानिक ढंग से भूमि विक्रय विलेख निष्पादित किए गए। यह भी, कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में की जा रही उपरोक्त भूमि विक्रय कार्यवाही के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

पंचायत निगरानी संख्या : 432/2024, 434/2024, 436/2024 व 438/2024
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

विरुद्ध ग्राम पंचायत में दिनांक 26.07.2023 को लिखित आपत्ति भी प्रस्तुत की थी किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आपत्ति पर भी कोई निर्णय लिए बिना ही ज़ैर निगरानी पट्टा विलेख निष्पादित कर दिए गए। काबिल अधिवक्ता याचीपक्ष ने वक़्त बहस यह भी ज़ाहिर किया कि प्रश्नगत भूखण्डो पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है तथा अप्रार्थीगण का कब्जा भी नहीं है, इसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157(1) के अन्तर्गत पुश्तैनी गृहों के विनियमितिकरण के रुप ममें खाली भूखण्डों का पट्टा विलेख निष्पादित कर अवैधानिक कार्यवाही कारित की गई है जो प्रथमदृष्टया ही काबिल खारिज है।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने वक़्त बहस उपरोक्त तर्कों का प्रतिकार करते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत भूखण्ड अप्रार्थीगण के पिता/दादा श्री सवाईसिंह का पुश्तैनी भूखण्ड है तथा मूल मिसल पत्रावलियों में सलंग्न उनके शपथपत्र में स्वयं सवाईसिंह ने उक्त भूखण्ड अप्रार्थीगण को देने की सहमति व्यक्त की है। उक्त प्रश्नगत भूखण्डों पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा है तथा प्रार्थी द्वारा उनके कब्जे में व्यवधान उत्पन्न करने पर उनके विरुद्ध फौजदारी न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है। यह भी, कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा विलेख निष्पादित करने से पूर्व सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया की पालना की गई है तथा हस्तगत पंचायत निगरानी याचिकाए सारहीन होने से खारिज की जाए।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 20.03.2023 पारित कर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) अर्थात् पुश्तैनी रहवासी कब्जे के आधार पर चार भूखण्डों का नियमितिकरण करते हुए भूमि विक्रय क्रमशः 24, 25, 23 एवं 22 दिनांक 20.08.2023 निष्पादित किए गए।

सर्वप्रथम तो प्रार्थी द्वारा हस्तगत निगरानी याचिकाओं के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम का निर्धारण आवश्यक है। हस्तगत पंचायत निगरानी याचिकाओं द्वारा आलोच्य प्रस्ताव दिनांक 20.03.2023 तथा चारों भूमि विक्रय विलेख दिनांक 20.08.2023 को चुनौति प्रस्तुत करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा उक्त निगरानी याचिकाएं इस न्यायालय में 02.09.2024 को प्रस्तुत की गई। यद्यपि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु कोई अवधिसीमा निर्धारित नहीं है। तथापि परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों व अनुसूची अनुसार यदि सामान्य प्रकरणों में तीन वर्ष की अवधिसीमा की उपधारणा भी की जाए, तो विचाराधीन निगरानी याचिकाए अवधिसीमा में प्रस्तुत की हुई ही मानी जाएगी। अतः उक्त प्रार्थना पत्र बाबत देरी उपशमन अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम अनावश्यक एवं निष्प्रभावी (infractuous) घोषित किया जाता है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधानानुसार न्यायालय हाजा (Revisional Authority) को प्रमुखतः इस तथ्य का विधिक परीक्षण करना अपेक्षित है कि किसी पंचायतीराज संस्था द्वारा पारित आदेश/निर्देश अथवा कार्यवाही वैधानिक प्रावधानों तथा आज्ञापक प्रक्रियात्मक उपबन्धों की कसौटी पर संधारणीय है अथवा नहीं। हस्तगत निगरानी याचिकाओं द्वारा ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा पारित संकल्प संख्या 08 दिनांक 20.03.2023 तथा उसके अनुक्रम में अप्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित चारो भूमि विक्रय विलेख दिनांक 20.08.2023 को चुनौति दी गई है, जिनके विस्तृत विधिक परीक्षण हेतु मूल मिसल पत्रावलियों तथा अन्य उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया जाना समीचीन है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 432/2024, 434/2024, 436/2024 व 438/2024
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा मूल रिकॉर्ड के अवलोकन एवं विश्लेषण उपरान्त कुछ महत्वपूर्ण तथ्य संज्ञान में आते है जिनका पदवार विश्लेषण निम्नानुसार है:–

1. प्रार्थी ने ज़ैर निगरानी विवादग्रस्त चारों भूखण्डों पर समेकित रुप से कब्जा होने का कथन अंकित किया है। यद्यपि अपने इस कथन की पुष्टि हेतु प्रार्थी ने ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रश्नगत भू–भाग पर प्रार्थी के कब्जे बाबत् स्पष्ट उपधारणा कायम की जा सके।

   किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत एवं पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों से यह अवश्य स्पष्ट होता है कि प्रार्थी श्री सुमेरसिंह द्वारा उक्त भू भाग का स्वयं के नाम पट्टा विलेख निष्पादित करने हेतु ग्राम पंचायत मगरतलाव में दिनांक 06.05.2016 को आवेदन प्रस्तुत किया था एवं ज़रिए रसीद संख्या 1511 दिनांक 06.05.2016 आवश्यक शुल्क भी जमा करवाया था। प्रार्थी ने निगरानी याचिका में यह सशपथ कथन किया है कि प्रार्थी के उक्त आवेदन पर ग्राम पंचायत ने कोई कार्यवाही नहीं की तथा बाद में इसी भू–भाग के अप्रार्थीगण के नाम चार भूमि विक्रय विलेख दिनांक 20.08.2023 को निष्पादित किए गए। यद्यपि अप्रार्थीपक्ष ने अपने जवाबपत्र/आपत्ति में यह कथन अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा निगरानी याचिका में अंकित भूखण्ड तथा अप्रार्थीगण के पट्टाशुदा भूखण्ड पृथक पृथक है जिनके पड़ौस मेल नहीं खाते है। इस संबंध में निगरानी याचिका में प्रार्थी द्वारा उल्लेखित विवरण के भूखण्ड एवं स्वयं सत्यापित नजरी नक्शें का आलोच्य चारों भूमि विक्रय विलेखों में अंकित चतुर्दशी से तुलनात्मक मिलान करने से यह ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा इंगित श्री हरिसिंह व दौलतसिंह के भूखण्ड की उत्तर दिशा में स्थिति वृहद भूखण्ड को ही पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 42x 60 वर्गफीट माप के चार भागों में विभक्त कर चारो अप्रार्थीगण के नाम आलोच्य भूमि विक्रय विलेख निष्पादित किए गए है।

   अर्थात प्रार्थी का यह तर्क स्वीकार योग्य है कि जिस वृहद भूखण्ड का पट्टा विलेख बनाने हेतु उनके द्वारा ग्राम पंचायत में दिनांक 06.05.2016 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था, उस आवेदन पर बिना कोई कार्यवाही प्रभाव में लाए ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा उसी भूखण्ड को चार भागो में विभक्त कर अप्रार्थीगण के पक्ष में चार पृथक पृथक भूमि विक्रय विलेख निष्पादित कर दिए गए।

   प्रार्थी द्वारा निगरानी याचिका में यह भी अंकन किया है कि उनके द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में पट्टा विलेख की कार्यवाही की भनक लगने पर दिनांक 26.07.2023 को ग्राम पंचायत में एक आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी। प्रार्थी ने निगरानी याचिका के साथ उक्त लिखित आपत्ति प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि भी सलंग्न की है। किन्तु प्रार्थी द्वारा सलंग्न उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 26.07.2023 पर ग्राम पंचायत की पावती रसीद अथवा Endorsement अंकित नहीं होने से यह स्पष्टरुप से नहीं माना जा सकता कि ग्राम पंचायत मगरतलाव कार्यालय में प्रार्थी द्वारा उक्त आपत्ति पत्र जमा करवाया गया था अथवा नहीं।

2. **अप्रार्थीपक्ष ने अपने जवाबपत्र के पद संख्या तीन में यह कथन किया है कि:–**
   "..... उक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा व अप्रार्थी संख्या एक के पिता श्री सवाईसिंह का पुश्तैनी कब्जा होने स उन्होंने ज़रिए सहमति पत्र अप्रार्थी संख्या एक सहित अन्य पोत्रों व पुत्रों को पट्टा बनाने हेतु सहमति दी है। जिसकी प्रति अप्रार्थी संख्या दो के कार्यालय में भी दी है तथा उसी सहमति के आधार पर अप्रार्थी संख्या दो के द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व अन्य के हक में पट्टा जारी किया है।"

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 432/2024, 434/2024, 436/2024 व 438/2024
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

निगरानी याचिका में प्रार्थी के नाम सम्बन्धिविवरण तथा वक़्त बहस उनके अधिवक्ता द्वारा इंगित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी श्री सुमेरसिंह भी उक्त श्री सवाईसिंह का पुत्र है। उक्त तथ्य का काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा भी वक़्त बहस खण्डन नहीं किया गया है। अर्थात यह स्वीकार्य स्थिति है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी श्री हुकमसिंह उक्त श्री सवाईसिंह के पुत्र है। अप्रार्थिया श्रीमती फुल कंवर पत्नी श्री हुकमसिंह उक्त श्री सवाईसिंह की पुत्रवधु तथा अप्रार्थीगण श्री वीरबहादुर सिंह एवं श्री हिम्मतसिंह उनके पौत्र है। अप्रार्थीपक्ष द्वारा जवाबपत्र के पद संख्या तीन में इंगित उक्त श्री सवाईसिंह के सहमति के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल मिसल पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

मूल मिसलों में उक्त श्री सवाईसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह निवासी भाणका द्वारा दिनांक 27.08.2023 को शपथपत्र पर प्रस्तुत सहमति पत्र सलंग्न है जिसमें यह अंकित हैं कि:–

".....सरहद गांव भाणका की आबादी भूमि में आवासीय भूखण्ड आए है, प्लोटो को बांटकर आपको दे दिए है, आप हुकमसिंह मेरे पुत्र लगते हो, आप फुलकंवर मेरी पुत्रवधु लगती है एवं आप हिम्मतसिंह व वीरबहादुरसिंह मेरे पौत्र लगते हो, अपने अपने बंट में आए प्लोटो के पट्टे ग्राम पंचायत से बनाते हो तो उसमें मेरी पूरी सहमति है।....."

शपथ पत्र पर अभिलिखित एवं ग्राम पंचायत के मूल अभिलेख (मिसल पत्रावली) में सलंग्न उक्त सहमति पत्र से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत चारों भूखण्ड भी सवाईसिंह की पुश्तैनी भू–सम्पति थी। यद्यपि उक्त शपथपत्र दिनांक 27.08.2023 आलोच्य पट्टा विलेखों सम्बन्धि कार्यवाही समाप्ति के बाद की तारीख का है, किन्तु यह तथ्य इस कारण गौण हो जाता है कि स्वयं अप्रार्थीपक्ष ने अपने जवाबपत्र के पद संख्या दो में उक्त भूखण्ड श्री सवाईसिंह का पुश्तैनी स्वामित्वाधकार का होने तथा उनका यह सहमति पत्र स्वयं अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा कराने का कथन किया है जो कि अब ग्राम पंचायत अभिलेख का हिस्सा है। ऐसे में यह वैधानिक प्रश्न उठना स्वभाविक है कि **"यदि उक्त भूखण्ड श्री सवाईसिंह की पुश्तैनी भू सम्पति था तो ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा श्री सवाईसिंह के जीवनकाल में ही किस आधार पर उक्त भूखण्ड पर उनके पुत्र पोत्रों एवं पुत्रवधु का पचास वर्ष से अधिक का रहवासी कब्जा मानते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) में पृथक पृथक चार भूमि विक्रय विलेख निष्पादित किय गए?"**

स्वभाविक है कि ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा प्रश्नगत भू भाग के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई सम्यक जाँच किए बिना ही तथा बिना किसी सक्षम सिविल न्यायालय की बंटवारा डिक्री के एक वृहद भूखण्ड को चार भागों में विभक्त कर पुश्तैनी रहवासी कब्जे के आधार पर मनमाने ढंग से अप्रार्थीगण के पक्ष में भूमि विक्रय विलेख निष्पादित किए गए है।

3. ज़ैर निगरानी प्रश्नगत चारो भूमि विक्रय विलेख राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के प्रावधानान्तर्गत निष्पादित है तथा प्रार्थी द्वारा निगरानी याचिका के पद संख्या तीन एवं चार में यह ऐतराज अंकित किया है कि प्रस्तावित भूखण्ड पर कोई मकान अथवा रहवासी निर्माण नहीं होते हुए भी ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 (1) के अन्तर्गत भूमि विक्रय करना अवैधानिक कार्यवाही की श्रेणी में आता है। प्रार्थी के उक्त आक्षेप के सम्बन्ध में पूर्वाक्त नियम 157 का उद्धरण आवश्यक है, जो निम्नानुसार है:–

(1) "जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी कराये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में– 100/–रु संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत। परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी और उपुर्यक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी।

परन्तु यह और कि (प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 और प्रशासन गांव के संग अभियान, 2023) की कालावधि के दौरान फीस खण्ड (i) और (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट दरों के पचास प्रतिशत के समतुल्य की दर से प्रभारित की जायेगी।

(2) ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी–झोपड़ी/कच्चे–गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 गज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितिकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्रारुप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।"

अर्थात् उपरोक्त नियम के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि पर आवेदक का नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से पचास वर्ष पुराना रहवासी मकान होना आज्ञापक शर्त है, जिस हेतु वर्ष रुपये 200/– में 300 वर्गगज की सीमा तक भूमि का नियमितिकरण किये जाने का प्रावधान है। जहां तक प्रस्तावित भू भाग पर अप्रार्थीगण के ऐसे रहवासी कब्जा/निर्माण का प्रश्न है, तो स्वयं अप्रार्थीगण ने अपने जवाबपत्र के पद संख्या एक में यह अंकित किया है कि न तो उक्त भूखण्ड पर टिनशेड लगा हुआ है और न ही कोई कमरा बना हुआ है एवं उक्त भूखण्ड अप्रार्थीगण के पशुधन के काम आता है।

अप्रार्थीगण की उपरोक्तानुसार स्वीकारोक्ति से यह प्रमाणित हो जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा खाली भूखण्डों का नियम 157 (1) के अन्तर्गत 200/–मात्र पर अप्रार्थीगण के पक्ष में भूमि विक्रय विलेख निष्पादित किए गए जो वैधानिक रुप से अनुमत नहीं है साथ ही, आबादी स्थल निरीक्षण प्रपत्र में भी "प्लॉट शुदा भूखण्ड" होना ही अंकित है, न कि मकान।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रकरण **न्यायिक दृष्टान्त 2019(2) Civil Time (Raj) 590** में ऐसी कार्यवाही को अवैधानिक माना है।

पुश्तैनी रहवासी कब्जे की पुष्टि हेतु मिसल पत्रावलियो में जो बयान सलंग्न है, वो भी परिवारजन अर्थात अप्रार्थीगण के आपस में ही दर्ज करवाए गए बयान मात्र है।

4. इसी प्रकार, यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि प्रकरण संख्या 436/2024 में अप्रार्थीगण श्रीमती फूल कंवर एवं श्री हुकमसिंह दोना पति–पत्नी है तथा ग्राम पंचायत द्वारा पृथक पृथक पुश्तैनी रहवासी कब्जे के आधार पर दो भूमि विक्रय विलेख संख्या क्रमशः 23 एव 22 दिनांक 20.08.2023 जारी किए गए हैं, जो अवैधानिक एवं अतार्किक कार्यवाही ही माना जा सकता है।

संक्षेप में, ग्राम पंचायत मगरतालाव द्वारा ज़ैर निगरानी भूखण्डों के संबंध में स्वामित्व इत्यादि की सम्यक जांच किए बिना तथा भूखण्ड पर कोई रहवासी निर्माण नहीं होने के उपरान्त भी राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत भूमि का विक्रय कर अवैधानिक कृत्य कारित किया गया है, जो कि विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

पंचायत निगरानी संख्या : 432/2024, 434/2024, 436/2024 व 438/2024
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अतः राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधानानुरुप हस्तगत चारों निगरानी याचिकाएं स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा मिसल संख्या 23/2022–23, 22/2022–23, 305/2022–23 तथा 68/2022–23 में पारित संकल्प संख्या 08 दिनांक 20.03.2023 तथा उक्त संकल्प के अनुसरण में दिनांक 20.08.2023 को निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या क्रमशः 24, 25, 23 एवं 22 को अपास्त किया जाता है।

साथ ही पक्षकारों के मध्य स्वामित्व विवाद के दृष्टिगत प्रकरण ग्राम पंचायत मगरतलाव को पुनप्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि सक्षम सिविल न्यायालय पारित विभाजन अथवा घोषणात्मक डिक्री के अभाव में विवादग्रस्त भूमि का अन्तरण नहीं करें एवं अपास्त किए गए विक्रय विलेखों की मूल प्रति पर लाल स्याही से क्रॉस मार्क एवं निरस्त का अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय चार प्रतियों में जारी होकर प्रत्येक निगरानी याचिका में सलंग्न किया जाए।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली